संख्या– 1739/79–5–2016–15(149)/2010

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1– शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0, लखनऊ।

2– सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद।

शिक्षा अनुभाग–5 लखनऊः दिनांकः 23 जून, 2016

विषयः **उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों के अध्यापकों का वर्ष 2016–17 हेतु अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण नीति ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद के पत्रांक–बे0 शि0प0/339/2016–17, दिनांक 18–4–2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों के अध्यापकों का शैक्षिक सत्र 2016–17 के लिए अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के संबंध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2– उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 1981 (यथा संशोधित) के नियम–4 के अनुसार परिषदीय अध्यापकों का सेवा का संवर्ग स्थानीय निकाय का है। प्रत्येक जनपद में दो स्थानीय निकाय ग्रामीण एवं नगर क्षेत्र परिभाषित हैं। नियमावली के नियम–21 के अनुसार अध्यापकों का स्थानान्तरण एक स्थानीय निकाय से दूसरे स्थानीय निकाय में अध्यापक के स्वयं के अनुरोध पर किये जाने का प्राविधान है। ऐसी स्थिति में अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण अध्यापक का अधिकार नही है, फिर भी अध्यापकों के स्वयं के अनुरोध एवं परिस्थितिजन्य कारणों के दृष्टिगत वांछित जनपदों में उपलब्ध रिक्ति के सापेक्ष स्थानान्तरण पर विचार किया जायेगा। अतः स्थानान्तरण के पश्चात एक स्थानीय निकाय से दूसरे स्थानीय निकाय में स्थानान्तरित होकर जाने पर अध्यापक उस स्थानीय निकाय सवर्ग की ज्येष्ठता क्रम में कनिष्ठतम माना जायेगा।

3– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के शैक्षिक सत्र 2016–17 हेतु अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु निम्नवत् नीति निर्धारित की जाती है :–

(i) अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु केवल वही अध्यापक अर्ह होंगे, जिन्होंने कार्यरत जनपद में प्रथम नियुक्ति तिथि से दिनांक 31 मार्च, 2016 तक न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

Transfer-Letter.doc